प्रेस नोट 05/05/2025

दिनांक 25/04/2024 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत बालक के प्राइवेट पार्ट काटने मामले में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से मास्क, गमछा, सिरिंज, दवा भरी शीशी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 02 मोबाइलफोन बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस को उस समय अहम सफतला हाथ लगी जब दिनांक 04.05.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भदसामानोपुर तिराहे के पास से मु0अ0सं0 101/24 धारा 326,506 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्तगण भरत यादव उर्फ डब्लू पुत्र महेन्द्र यादव, अंकित यादव उर्फ मुलायम यादव पुत्र रामकेर यादव निवासीगण खानपुर बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त इंजेक्शन का शीशी (एनीमल ट्रीटमेंट वनली) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 02 मोबाइलफोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान अभियुक्त भरत यादव द्वारा बताया गया कि मेरी शादी मालती देवी की पुत्री से करीब दो साल पूर्व तय हुयी थी जिसके बाद मैं उनकी पुत्री से फोन पर बातचीत करने लगा और अक्सर उसके घर आने–जाने लगा तथा हम लोगों का आपस में प्रेम–सम्बन्ध हो गया था, मेरे गांव का ही मेरा दोस्त अंकित यादव कभी–कभी मेरे साथ आता–जाता था, कुछ महीने पहले इनके परिवार की शादी में उनकी पुत्री के पहनावे से नाराज होकर उसे मारा–पीटा था। इसी बात को लेकर इनके पुत्री द्वरा मुझसे नाराज होकर बातचीत करना बंद कर दिया तथा इनके घर वाले मुझसे शादी तोड़ दिये। मैनें कई इन लोगों का शादी तोड़ने को लेकर धमकी दिया था किन्तु ये लोग नही मानें। दिनांक 25.04.2024 को मैं अपने साथी अंकित यादव के साथ देवकली विशुनपुर शादी में आया था जिसमें इनका लड़का सत्यम यादव भी काम में हाथ बटा रहा था, वहीं मैं तथा मेरा साथी मास्क पहनकर सत्यम यादव को कोल ड्रिंक्स की दुकान दिखाने के बहाने कुछ दूर ले गये तथा दोनो मिलकर उसका मुंह दबाकर इंजेक्शन लगाकर उसका प्राइवेट पार्ट काटकर वहीं फेंक दिये तथा वहां से भाग गये। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 328,307 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

1. भरत यादव उर्फ डब्लू पुत्र महेन्द्र यादव।
2. अंकित यादव उर्फ मुलायम यादव पुत्र रामकेर यादव निवासीगण खानपुर बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. 02 मास्क, 01 लाल गमछा, 01 सिरिंज।
2. जानवरों पर प्रयोग की जाने वाली दवा भरी एक शीशी (स्ट्रेप्टो पेनसिलीन फॉर सस्पेंशन इंजेक्शन वेटनरी)।
3. घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल ग्लैमर व 02 मोबाइलफोन।

<u>03 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार कब्जे से लगभग तीन लाख कीमती 65.6 किलोग्राम अवैध नाजायज गांजा बरामद-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस को उस समय अहम सफतला हाथ लगी जब दिनांक 05.05.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बढ़ुआगोदाम के पास से अभियुक्तगण धनू सिंह पुत्र स्व0 विरेन्द्र सिंह निवासी मठिया,

विवेक सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह निवासी मिश्रबन्धौरा थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार, मनू चौहान पुत्र मोतीलाल चौहान निवासी बेकीगांव थाना उदालगड़ी जनपद उदालगड़ी असम के कब्जे से 65.6 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में चालान न्यायालय किया गया। बरामद मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. धनू सिंह पुत्र स्व0 विरेन्द्र सिंह निवासी मठिया थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार।
2. विवेक सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह निवासी मिश्रबन्धौरा थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार।
3. मनू चौहान पुत्र मोतीलाल चौहान निवासी बेकीगांव थाना उदालगड़ी जनपद उदालगड़ी असम।

बरामदगी-

1. 65.6 किलोग्राम अवैध नाजायज गांजा।
2. दो अदद मोटरसाइकिल (युपी52बीआर8881, युपी52बीएल9395)

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 04 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 26 मामलों में से 08 मामलों का हुआ निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 05.05.2024 को महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक पुलिस लाइन सभागर में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के समक्ष कुल 26 मामले आये जिसमें एच्छिक ब्यूरो के सदस्यो के प्रयास से 08 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 04 दंपति सुल्ताना/सलमान, निर्मला/अजय, मन्जू/चन्द्रशेखर, खुशबू/कृष्णा आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 01 मामले में एफआइआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया तथा 03 मामले बन्द किये गये। अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 19.05.2024 दी गयी है। एच्छिक ब्यूरो की बैठक में अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0मु0आ0 पुष्पा गुप्ता, म0आ0 पूनम पाल, करिश्मा राय उपस्थित रही।

एक वांछित तथा एक वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 05.05.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर टाउन इण्टर कॉलेज मुहम्मदाबाद के पास से मु0अ0सं0 132/24 धारा 307,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त मकशुद खान पुत्र स्व0 सुल्तान निवासी शेखवाड़ा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ तथा कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त शहजादे पुत्र अली अहमद निवासी बाबूपुर शाहपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।